भारत सरकार का उपक्रम

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

असाधारण आम बैठक की सूचना NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अन्य ऑडियो/ वीडियो साधनों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से **Through Video Conferencing/** Other Audio-Visual Means((VC/OAVM)

बुधवार, 22 जनवरी, 2025

प्रात: 11.00 बजे

Wednesday, 22nd January, 2025 at 11.00 A.M

प्रधान कार्यालय: 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001 Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

वेबसाइट / Website: www.ucobank.com



यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालयः 10, बी.टी.एम.सरणी, कोलकाता-700001 Head Office: 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700001

विषय-सूची / Table of Contents

मद	पृष्ट सं /Page No.	Item	पृष्ट सं /Page No.
नोटिस	3	Notice	29
व्याख्यात्मक विवरण	4	Explanatory Statements	30
ई-वोटिंग के सामान्य अनुदेश	14	General Instruction for e-voting	40
नामांकन फॉर्म, घोषणा और वचनपत्र	19	Nomination Form, Declaration and Undertaking	45
भौतिक शेयरों के धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना	27	Important notice to holders of Physical Shares	53

महत्वपूर्ण तारीख/कार्यक्रम / Important Dates/Programme

104 g 1 (114) 17 Important Dates/110g	
वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विचुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण	बुधवार, 22.01.2025
आम बैठक की तारीख और समय Date and time of Extraordinary General Meeting through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM)	Wednesday 22.01.2025
चुनाव में नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कट-ऑफ/निर्दिष्ट तारीख	शुक्रवार, 20.12.2024
Cut-off/Specified date for the purpose of ascertaining eligibility of the shareholders for nominating, contesting and voting in the Election.	Friday, 20.12.2024
नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि	मंगलवार, 07.01.2025 शाम 5.00 बजे तक
Last date of submission of Nomination Forms	Tuesday, 07.01.2025 by 5.00 p.m.
नामांकन की जांच	बुधवार, 08.01.2025
Scrutiny of Nominations	Wednesday, 08.01.2025
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	बुधवार, 15.01.2025 दोपहर 2.00 बजे तक
Last date of Withdrawal of Nominations	Wednesday, 15.01.2025 by 2 p.m.
निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कार्यसूची मद के संबंध में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि (चुनाव के अलावा)	बुधवार, 15.01 2025
Cut-Off date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the Agenda Item relating to the appointment of Director (Other than Election)	Wednesday, 15.01.2025
ई-वोटिंग के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के संकल्प की प्राप्ति की अंतिम तिथि	गुरूवार, 16.01.2025
Last date of receipt of resolutions appointing Authorized Representatives for e-voting	Thursday, 16.01.2025
ई-वोटिंग की तिथि	शनिवार, 18.01.2025 (सुबह 9.00 बजे) से
इ-पाटन का तिथ	मंगलवार, 21.01.2025 (शाम 5.00 बजे) तक
Date of e-voting	Saturday, 18.01.2025 (9.00 A.M) to Tuesday, 21.01.2025 (5.00 P.M)
असाधारण आम बैठक का मानित (डीम्ड) स्थान	यूको बैंक प्रधान कार्यालय, 10 बी टी एम सरणी, कोलकाता- 700001
Deemed Venue of the EGM	UCO Bank Head Office, 10 BTM Sarani, Kolkata-700001



यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001 सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **बुधवार, 22 जनवरी, 2025 को पूर्वाहन 11:00** बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से निम्नलिखित कार्य को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी:

मद संख्या 1: शेयरधारक निदेशक का चुनाव:

बंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से एक निदेशक का चयन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसे "योजना" कहा जाएगा) तथा यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003, यथासंशोधित, (इसके बाद इसे "विनियमन" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुरूप जिसे अधिनियम की धारा 19 और भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड) दिशानिर्देश, 2019 के अनुसरण में तैयार किया गया है और जिसे आरबीआई परिपन्न संख्या डीबीआर एपीपीटी. बीसी.नं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 (आगे जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना कहा जाएगा) यदि कोई संशोधन हुआ हो तो उसके साथ पठित आरबीआई/ डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर एपीपीटी. नं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 के माध्यम से जारी किए गए और 25 मार्च 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में विचार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के साथ पठित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.नं. 16/83/2013-बीओ.आई दिनांक 3 सितंबर, 2013, एफ.नं.16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई 2016 के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पारित करके किया जाना:

"संकल्प लिया गया कि अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ पठित योजना, विनियमन, आरबीआई अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक को बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चुनाव की तारीख के अगले दिन से पदभार ग्रहण करेगा और ऐसे ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक पद पर रहेगा।"

उपर्युक्त संकल्प को सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के अंतर्गत पारित भी माना जाएगा।

मद संख्या 2: डॉ. शारदा प्रसन मोहंती, आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियक्ति

विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए तो **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित को पारित करने के लिए :

"संकल्प लिया गया कि बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के साथ पिठत, सोंधित सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवयकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.6/3/2011-बीओ आई दिनांक 05.08.2024 के अनुसार यूको बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में डॉ. शारदा प्रसन मोहंती की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से यानी 05.08.2024 से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से कृते यूको बैंक

हस्ता/-

(अश्वनी कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता

दिनांकः 23.12.2024



1 व्याख्यात्मक विवरण

इस नोटिस में दिए गए मद संख्या 1और 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य से संदर्भित व्याख्यात्मक विवरण निम्नलिखित है:

मद संख्या 1:- शेयरधारक निदेशक का चुनाव

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) (i) के अनुसार, चूंकि बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बैंक की शेयरधारिता के 16% से कम है, इसलिए केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक अपने बीच से एक निदेशक चुनने के हकदार हैं। केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों ने श्री प्रमोद रंजन मिश्रा को चुना था, जिन्होंने 1 फरवरी 2024 से पदभार ग्रहण किया, उन्होंने 14 नवंबर 2024 को अपना त्यागपत्र दे दिया है।

उक्त रिक्ति को भरने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने दिनांक 22 जनवरी 2025 को होने वाली असाधारण आम बैठक में केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक (शेयरधारक निदेशक) का चुनाव कराने का निर्णय लिया है।

इसलिए शेयरधारक (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना और दिशानिर्देशों में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के हकदार हैं।

शेयरधारक निदेशक का चुनाव शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकन की जांच करने तथा निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा उसकी 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति के निर्धारण किए जाने तथा असाधारण आम बैठक में चुनाव के बाद किया जाएगा। इस रीति से चुना गया शेयरधारक निदेशक चुनाव तारिख के आगले दिन से अपना कार्यभार ग्रहण करेगा तथा तीन वर्षों के लिए पद धारित करेगा।

2. विधिक प्रावधान

इस संबंध में प्रासंगिक उद्धरण/प्रासंगिक अधिनियम के अंश/योजना/विनियम/अधिसृचनाएं/दिशानिर्देश नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन	धारा 5 (एनई)	पर्याप्त हित
अधिनियम, 1949	धारा 16 (1)	सामान्य निदेशकों पर निषेध
	धारा 20	अपने किसी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों	धारा 3(2ई)	वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध
का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 9(3)(i)	शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए)(ए) से (सी) तक	कतिपय विषयों में विशेष ज्ञान
	धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी)	कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य किसी मानदंड के आधार पर उपयुक्त और उचित नहीं पाया जाता हो।



अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
	धारा 9(3बी)	उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) और 9 (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते वाले निर्वाचित निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार।
	धारा 13(2)	निष्ठा और गोपनीयता के प्रति कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं	खंड 9(4)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 10	बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं
	खंड11	निदेशक के कार्यभार त्याग
	खंड11ए	निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना
	खंड 11बी	निर्वाचित निदेशक के पद की आकस्मिक रिक्ति को भरना
	खंड 12(8)	कुछ व्यवस्थापनों जिसमें निदेशकों की रुचि है, पर निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
यूको बैंक (शेयर एवं बैठक)	विनियम 10	संयुक्त धारकों के अधिकार का उपयोग
यथासंशोधित विनियमन, 2003	विनियम 63	आम बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियम 64	शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 66	नामांकनों की जांच
	विनियम 67	चुनाव विवाद
	विनियम 68	मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान
	विनियम 70	परोक्षी
आरबीआई/डीबीआर//2019- 20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/ एपीपीटी सं. 9/ 29.67.001/ 2019 -20 दिनांक 02 अगस्त, 2019	बैंककारी कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3 एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त और उचित मानदंड।



अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दिनांक 3 सितंबर, 2013 को जारी पत्रांक संदर्भ संख्या एफ.नं. 1618312013-बीओ.आई एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड स्थापित करते हुए दिनांक 25 मार्च 2015 एवं 20 जुलाई 2016 को जारी किया गया पत्र।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड
इस संबंध में किसी भी अन्य परिपत्र सहित आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015, यथासंशोधित		निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम दिया जाना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक एवं उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा को ध्यान रखते हुए अधिनियम, विनियम, योजना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 तथा 20 जुलाई 2016 से संबंधित उद्धरणों को बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर दिया जाएगा। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानी 7 जनवरी 2025 की शाम 05.00 बजे तक या उससे पहले इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा hosgr.calcutta@ucobank.co.in पर ई-मेल से अनुरोध किए जाने पर वे उद्धरण उन्हें ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे।



3. मतदान अधिकार

कार्यसूची मद सं. 1 के लिए बैंक ने केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने (नामांकन, चुनाव लड़ने और वोट देने) के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024** को निर्दिष्ट तिथि (कट-ऑफ तिथि) के रूप में तय किया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के तहत प्रतिबंधों के अधीन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक जो निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हुए हैं, बैंक के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे और उस तिथि को उसके पास मौजूद प्रत्येक शेयर के लिए उसका एक वोट होगा। हालांकि, ये नोट किया जाये कि केंद्र सरकार के निदेशक चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं, परन्तु पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में उपस्थित रहेंगे।

कार्यसूची मद सं. 2, बैंक ने सेबी लिस्टिंग विनियम 44 के साथ पढ़े गए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के संदर्भ में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए बुधवार, 15 जनवरी, 2025 को अंतिम तारीख तय की है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक,अपने पास धारित सभी शेयर के संदर्भ में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के वोटिंग अधिकार के प्रयोग का हकदार नहीं होगा।

इसके अलावा विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो वोटिंग के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का हकदार होगा और वही नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने के लिए पात्र होगा।

4. शेयरधारकों की सूची

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003, यथासंशोधित के विनियम 64 में यथा वर्णित, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता-700001 के पास दिनांक 24 दिसंबर 2024 से उपलब्ध होगी और यह शेयरधारकों द्वारा यूको बैंक के पक्ष में कोलकाता में देय डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) के भुगतान पर खरीद के लिए उपलब्ध होगी। उक्त सूची खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक वचनपत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव के लिए प्रचार में किया जाएगा तथा उसका कोई अन्यथा उपयोग नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों का रजिस्टर (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) दिनांक 24 दिसंबर 2024 से कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता-700001 में सभी कार्य दिवसों (बैंक अवकाश छोड़कर) सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को चयनित/आंशिक भाग की जानकारी हेतु एक प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है, तो वह उन्हें प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके आंशिक भाग, के लिए रु. 5/- (पाँच रुपये मात्र) की दर से राशि का पूर्व भुगतान करने पर प्रदान की जाएगी।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यताएँ

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत जो बैंक का निदेशक के रूप में चुने जाने के इच्छुक है उसे

क) निम्नलिखित में से एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :



- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अর্থशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो
- ख) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा
- ग) कृषकों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर एपीपीटी बीसी नं 39/29 39 001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के माध्यम से जिन्हें बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है उनके लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को विस्तारित करते हुए (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल किया है।

अधिनियम की धारा 9(3एए) की शर्तों के अनुसार, बैंक का कोई शेयरधारक उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक बनने को इच्छुक हो, उसे अधिसूचना में वर्णित मानदंड के अनुसार 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों को संयोजकों का विलेख निष्पादित करना होगा तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी होंगी।

6. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएँ

- क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगाः
- यदि वह किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हो या प्रशमन किया हो; अथवा
- यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा
- यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो, जिसमें नैतिक चिरत्रहीनता भी शामिल है; अथवा
- यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी लाभ का पद धारण करता/ करती है, इसके सिहत कि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत एवं बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए प्रबंध निदेशक तथा निदेशक सिहत पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता/करती है एवं



ख) यदि वे भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी नं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के साथ पिठत सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ निर्धारित मानदंड/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक सिमित द्वारा 'उपयुक्त एवं उचित' व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं।

7. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकनः

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी संदर्भ संख्या एफ.नं. 16/83/2013-बीओ.आई दिनांक 3 सितंबर, 2013 के साथ पिठत विनियमन के विनियमन 65 के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी संख्या 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के साथ पिठत तथा सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ प्रत्याशियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड जिसे दिनांक 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई, 2016 (भारत सरकार के दिशानिर्देश) को जारी किया गया था और विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव हेतु उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्तेः

- निर्वाचन में सहभागिता हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से निर्धारित विनिर्दिष्ट तिथि (कट ऑफ तिथि) 20 दिसंबर,
 2024 को उसकी शेयरधारिता या तो भौतिक या अभौतिक माध्यम से यूको बैंक के 100 (एक सौ) शेयरों से कम न हो जो कि उसके पास बैठक की तिथि तक बनी रहे और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता/होती है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयर उसके पास रहने चाहिए।
- नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 7 जनवरी, 2025 दिन मंगलवार को यथास्थिति वह अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैंक अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य न हुआ हो।
- अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत गठित अटार्नी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित वैध नामांकन, बशर्ते शेयरधारक जहां कंपनी है, का नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाए और जहां ऐसा संकल्प किया जाता है वहाँ उस बैठक के, जहां इसे पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की सही प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता 700001 को संबोधित करते हुए प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति कंपनी के पक्ष में नामांकन समझी जाएगी।
- शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन के साथ घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए और उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश मिजस्ट्रेट/ एश्योरेंस के रिजस्ट्रार या उप रिजस्ट्रार या अन्य राजपित्रत अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित यह घोषणा कि (1) वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन में भाग लेने का/की इच्छुक है. (II) वह बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 या बैककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना. 1970 या यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें संशोधन विनियम, 2003 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई डीबीआर/ 2019-20/71, मास्टर निर्देश डीबीआर/एपीपीटी/स. 9/ 29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 तथा गैर सरकारी निदेशकों के लिए यथालागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अयोग्य घोषित नहीं किया है।
- नामांकन फॉर्म के साथ उसका विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) और इस आशय की पुष्टि होनी चाहिए कि ऐसे विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उसकी यह वचनबद्धता कि वह इस घोषणा के बाद ऐसी कोई भी घटना, जो इस सूचना से संगत हो, बैंक को यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करेगा/करेगी।
- नामांकन फॉर्म एवं घोषणा फॉर्म का प्रोफार्मा इस नोटिस के साथ संलग्न है और बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर भी उपलब्ध है।



8. नामांकन फॉर्मों की प्रस्तुति

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छूक शेयरधारकों को प्रस्तुत करना होगाः

- यथानिर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा गया घोषणा पत्र;
- निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों से वैध नामांकन;
- इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में संबंधित दस्तावेज, प्रशंसापत्र अर्थात बायो-डाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा पत्र और वचन पत्र

एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर लिखा हो - "यूको बैंक- शेयरधारक निदेशक का चुनाव" को या तो हाथ से डिलीवरी द्वारा या स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत पोस्ट/कृरियर के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजा जाए -

कंपनी सचिव.

युको बैंक

वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय

2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल

कोलकाता - 700001

ताकि किसी भी कार्य दिवस को मंगलवार, 7 जनवरी, 2025 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले पहुंच सके।

उपर्युक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, अन्यथा; नामांकन अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि नामांकन फॉर्म उपर्युक्त पते के अलावा किसी अन्य पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट/कूरियर के माध्यम से भेजा जाता है या कंपनी सचिव से पावती प्राप्त किए बिना हाथ से वितरित किया जाता है, तो बैंक नामांकन फॉर्म प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनावः

- नामांकन प्राप्त होने की निर्धारित तिथि के बाद प्रथम कार्य दिवस बुधवार, 8 जनवरी, 2025 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल के नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा वैध नामांकनों की जांच की जाएगी। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध प्रकृत्या समान हैं, बैंक उम्मीदवारों की उपयुक्त और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से कठोरतर को ध्यान में रख सकता है।
- बैंक नामांकन की जांच के समय या निदेशक मंडल के एनआरसी की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।



- जांच के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन है, तो इस प्रकार नामांकित और योग्य पाए गए उम्मीदवार को तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता नव निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा । ऐसी स्थिति में, असाधारण आम बैठक में एजेंडा आइटम नंबर 1 पर कोई चुनाव/मतदान नहीं होगा । नव निर्वाचित निदेशक उस तिथि के बाद से पदभार ग्रहण करेगा जिस तिथि को उसे निर्वाचित माना जाता है ।
- यदि एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो चुनाव होगा और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम समाचार पत्रों और बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

10 नामांकन वापरा लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह कंपनी सचिव, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, कोलकाता को hosgr.calcutta@ucobank.co.in पर 15 जनवरी 2025 को शाम 2.00 बजे तक या उससे पहले हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की हुई प्रति भेजकर ऐसा करने का हकदार होगा।

11. मतदान परिणाम

बैंक ने मैसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, कंपनी सचिवो को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ईजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के संचालन की निगरानी करेंगे।

संवीक्षक ईजीएम के समापन के बाद के दो कार्य दिवसों के भीतर बैठक के अध्यक्ष को डाले गए कुल वोटों (रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग) पर एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, बैंक स्टॉक एक्सचेंजों और बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम घोषित करेगा।

12. विवाद

यदि कोई विवाद होता है, तो उसे युको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

13. निदेशक को हटाया जाना

शेयरधारकों का ध्यान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3बी) की ओर, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित निदेशक, जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, उन्हें हटाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार की ओर आकृष्ट किया जाता है।

14. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो वे डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से और भौतिक शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें :



मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,

युनिट: युको बैंक,

सेलेनियम टावर बी. प्लॉट 31-32. गाचीबोवली.

वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032

टोल फ्री - 1-800-309-4001

किसी भी प्रश्न के मामले में आप https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और शेयरदारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या KFin Technologies Ltd के वरिष्ठ प्रबंधक श्री एस. वी. राजू, DVP /श्री बालाजी रेड्डी एस से ई-मेल v-raju.sv@kfintech.com/balajireddy.s@kfintech.com या टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर संपर्क कर सकते हैं।

15. शेयर अनुभाग और निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है, शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए नीचे दिए गए पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते है:

श्री विकास गुप्ता, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग और निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालयः 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल), कोलकाता- 700 001, टेलीफोनः 033 - 44557227

16. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशकों को उनकी शेयरधारिता की सीमा तय और ऐसे निदेशक जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उन्हें व्यवसाय की उपरोक्त वस्तु में संबंधित या रूचि रखने वाला माना जा सकता है।

मद संख्या 2:- डॉ. शारदा प्रसन मोहंती की आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति

डॉ. शारदा प्रसन मोहंती को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनयम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.08.2024 की अधिसूचना एफ सं. 6/3/2011-बीओ.आई. के माध्यम से यूको बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जो तत्काल प्रभाव से यानी 05.08.2024 से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।

डॉ. शारदा प्रसन मोहंती का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

डॉ. शारदा प्रसन मोहंती एक अनुभवी फ्रैंकिंग पेशेवर हैं, जिनके पास 28 वर्षों का प्रगतिशील अनुभव है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में 25 वर्ष शामिल हैं। वह वर्तमान में आरबीआई, भुवनेश्वर, ओडिशा में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य करते हैं, और आरबीआई में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। डॉ मोहंती के पास अंतर्राष्ट्रीय वित्त में पीएचडी, आईआईएम बैंगलोर से सार्वजिनक नीति और प्रबंधन में पीजीडीएम और ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय से डेटा विज्ञान और व्यापार विश्लेषण में पीजीपी है। वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं और उनके पास ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एम.एससी. (एजी) है।

अपने किरयर के दौरान, उन्होंने विनियमन और पर्यवेक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन प्रबंधन में व्यापक विशेषज्ञता हासिल की है। डॉ मोहंती ने आरबीआई के भीतर विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया है, जिसमें मुंबई में केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ नई दिल्ली, कोलकाता और भुवनेश्वर भी शामिल हैं। उन्होंने नीति निर्माण पर केंद्रित विभिन्न आंतरिक असाधारण आम बैठक 2025

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2025

RBI समितियों और कार्य समूहों में भी योगदान दिया है। उनके अंतरराष्ट्रीय अनुभव में कई वैश्विक मंचों जैसे कि फेडरल रिजर्व, बेसल समिति और केडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। डॉ. मोहंती ने ब्रिक्स साइबर सुरक्षा सम्मेलन और मुद्रा अवसंरचना में सुधार पर चर्चा सिहत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है और उन्होंने यूएसए, स्विटजरलैंड, यूकेन, रूप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में RBI का प्रतिनिधित्व किया है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

 निदेशक का संक्षिप्त प्रोफाइल ऊपर दिया गया है जो बैंकिंग क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को रेखांकित करता है। इसके, अलावा बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/क्षमताओं/विशेषज्ञता का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया गया था और उसके आधार पर उनकी नियुक्ति की गई।

• निदेशकों के बीच में कोई परस्पर संबंध नहीं है।

 सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ-साथ अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद, जहाँ से आरबीआई नामित निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दे दिया है - कोई नहीं।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के पहले परंतुक के अनुसरण में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए।

उपर्युक्त विनियमों का अनुपालन करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु डॉ. शारदा प्रसन मोहंती, आरबीआई नामित की नियुक्ति की अनुशंसा की।

डॉ. शारदा प्रसन मोहंती या उनके रिश्तेदारों के अलावा बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक, को छोड़कर बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदारों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से किसी को भी उक्त संकल्प में रूचि या हितचिंता नहीं है।

> निदेशक मंडल के आदेश से कृते यूको बैंक

> > हस्ता/-

(अश्वनी कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता

दिनांकः 23.12.2024



वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) से असाधारण आम बैठक में पहुँच तथा उसमें भाग लेने तथा दूरस्थ ई वोटिंग समेत इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान करने के लिए सामान्य अनुदेश।

1. वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) से असाधारण आम बैटक

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19.09.2024 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03.10.2024 के साथ पठित, असाधारण आम बैठक बैंक की असाधारण आम बैठक के संचालन में एमसीए और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना एक आम स्थल पर आयोजित की जाएगी।

बैठक का डीम्ड स्थान युको बैंक प्रधान कार्यालय, 10, बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 होगा।

2. ईजीएम में भाग लेने की सुविधा

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने, ईजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ईजीएम के लिए अटेंडेंट एनेबलर के रूप में भी कार्य करेगा।

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे शेयरधारकों के लिए 22 जनवरी, 2025 को सुबह 10:30 बजे से यानी ईजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खोला जाएगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने का विंडो बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद बंद की जाएगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। उन्हें पहले बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग लेने की अनुमित होगी

3. उपस्थिति

कोरम की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

4. प्रॉक्सी एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

चूंकि यह ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों को भौतिक उपस्थिति से छूट दी गई है। तदनुसार, इस ईजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

तथापि, कॉर्पोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार होंगे। इस संबंध में मतदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर के साथ प्रासंगिक बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रति ईमेल द्वारा कम से कम चार दिन पहले अर्थात 16 जनवरी, 2025 को अपराह्न 5.00 बजे तक या



उससे पूर्व संवीक्षक को ईमेल पते snv@snaco.net पर भेजते हुए उस मेल को evoting@kfintech.com और hosgr.calcutta@ucobank.co.in को मार्क किया जाना आवश्यक है।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम प्लेटफार्म के माध्यम से सदस्य को ईजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य https://emeetings.kfintech.com पर जाकर 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' पर क्लिक कर दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों पर लॉग-इन कर सकते हैं।
- ईजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। ईजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहां ईवेंट और यूको बैंक को चुना जाना है।
- कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल
 गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप मे गुगल क्रोम के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति वाली इंटरनेट का उपयोग करना अपेक्षित होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

6. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के आवश्यकताएं नियम 20 के अनुसार पिठत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पिठत सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए पिरपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ई-एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रिजस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह वार्षिक आम बैठक में मत देने का हकदार होगा, बशर्ते कि दूरस्थ ई-मतदान के जिए मत पहले ही न डाल दिए गए हों।



7. डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉज़िटरी(एनएसडीएल/सीडीएसएल) के जरिए दूरस्थ ई-मतदान हेतु अनुदेश

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-मतदान सुविधा पर सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, प्रतिभूतियों को डीमैट स्वरूप में रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों को, डिपॉज़िटरी और डिपॉज़िटरी सहभागियों द्वारा संचालित अपने डीमैट खातों के जिए मतदान करने की अनुमित है। ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए शेयरधारक अपने डीमैट खातें में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान और वर्चुअल बैठकों में शामिल होने की प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार है:

	एनएसडीएल		सीडीएसएल
यूआरएल/URL: http: आईडीईएएस' खंड के ओनर" आइकन पर वि गए पेज पर उपयोगव प्रमाणीकरण के बाद वोटिंग)' पर क्लिक क IV. कंपनी के नाम या ई-आपको ई-मतदान सेवा	र्क्ता आईडी और पासवर्ड डालें। सफल 'ई-मतदान तक पहुँच (एक्सेस टू ई-	I. III. IV. V.	वर्तमान उपयोगकर्ता जिन्होंने ईएएसआई/ ईएएसआईईएसटी का विकल्प लिया है यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/ login या यूआरएल : www.cdslindia.com न्यू सिस्टम मायइज़ी पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से प्रवेश करें। आगे किसी और प्रमाणीकरण बिना ई-मतदान पेज तक पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। अपना मत देने के लिए ई-मतदान सेवाप्रदाता का नाम क्लिक करें।
पंजीकरण हेतु लिक ht करें: रिजस्टर ऑनलाइन प आवश्यक फील्डों को वैकल्पिक रूप से, पंजीकरण के ि	लेए यहाँ क्लिक करें:https:// n/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp	I. 1	उपयोगकर्ता ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है पंजीकरण का विकल्प यहाँ उपलब्ध हैः https:// web.cdslindia.com/myeasi/Registration/ EasiRegistration आवश्यक फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।
यूआरएल/URL: https:	तदान वेबसाइट पर जाकर s://www.evoting.nsdl.com/ ंड के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉग-इन' आईकन यानी एनएसडीएल के पास स्थित 16- पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई कोड दर्ज करें। क बाद आपको एनएसडीएल डिपॉज़िटरी जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पेज देख सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ।प्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते	I.	सीडीएसएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर यूआरएल : www.cdslindia.com डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहाँ ई-मतदान प्रक्रिया चल रही है।



8. डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉज़िटरी सहभागी के जरिए दूरस्थ ई-मतदान किए जाने हेतू अनुदेश

वैयक्तिक सदस्य एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागी के जिरए अपने डीमैट खाते के लॉग-इन ब्योरों का इस्तेमाल करके भी ई-मतदान सुविधा के लिए लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार लॉग-इन करने पर सदस्य को ई-मतदान विकल्प दिखाई देने लगेगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर सदस्य सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉज़िटरी की साइट पर ले जाया जाएगा। कंपनी का नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता का नाम क्लिक करने पर सदस्य को ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, ताकि वह दूरस्थ ई-मतदान अविध के दौरान अपना मत दे सके या वर्चुअल बैठक में शामिल हो सके तथा बैठक के दौरान मतदान कर सके।

महत्त्वपूर्ण सूचनाः जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड स्मरण नहीं कर पा रहे हैं वे उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी भूल गए(फॉरगेट यूज़र आईडी) और पासवर्ड भूल गए(फॉरगेट पासवर्ड) विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉज़िटरी, यथा सीडीएसएल एवं एनएसडीएल के जरिए लॉग-इन करने से जुड़े किन्ही तकनीकी मुद्दों के लिए हेल्पडेस्क

सदस्यों के समक्ष कोई तकनीकी मुद्दा - एनएसडीएल	सदस्यों के समक्ष कोई तकनीकी मुद्दा - सीडीएसएल			
लॉग-इन में कोई तकनीकी समस्या आने पर सदस्य एनएसडीएल				
हेल्पडेस्क से संपर्क कर कर सकते हैं। इसके लिए				
evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं			
नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर	अथवा 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर कॉल			
सकते हैं।	कर सकते हैं।			

9. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले भौतिक शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश

दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है। प्रारंभिक पासवर्ड ईजीएम के नोटिस वाले ई-मेल के मुख्य भाग में दिया गया है।

- i. रिमोट ई-वोटिंग के लिए https://evoting.kfintech.com पर लॉग-इन करें
- ii. कट आफ तिथि को शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत डाल सकते हैं।
- iii. लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।
- iv. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
- v. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिहन होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
- vi. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
- vii. सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको ईवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और 'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर क्लिक करें लेकिन 'पक्ष' और/या 'विपक्ष' की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'एब्स्टेन' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।



viii. एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और सब्मिट' पर विलक करें। एक पूष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।

- ix. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छिव (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल snv@snaco.net पर भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छिव का नामकरण प्रारूप 'युको बैंक इवेंट सं.' होगा।
- x. निर्दिष्ट तारीख को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।
- xi. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुन:संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अविध के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार भी लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
- xii. एकाधिक फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- xiii. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुन: संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- xiv. वोटिंग के लिए पोर्टल 18 जनवरी, 2025 को सुबह 9 बजे से 21 जनवरी, 2025 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।
- xv. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो https://evoting.kfintech.com पर डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए इ-वोटिंग यूजर मैन्युअल का अवलोकन कर सकते है अथवा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के डीवीपी मिस्टर एस.वी. राजु / मिस्टर बालाजी रेड्डी एस वरिष्ठ प्रबंधक से दूरभाष संख्या -1-800-309-4001(टोल फ्री) पर या ईमेल v-raju.sv@kfintech.com / balajireddy.s@kfintech.com पर संपर्क कर सकते है

11. ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतू सदस्यों के लिए निर्देश:

ईजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग 'थंब साइन' अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें 'इंस्टापोल' पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे।

सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए 'इंस्टापोल' आइकन पर क्लिक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।



नामांकन फार्म

क्रम. सं.

(विनियमों के विनियम 65 (i) (डी) देखें)

सेवा में, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूको बैंक 10, बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001

महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक 23.12.2024 के नोटिस वे	p संदर्भ में, मैंयूको बैंक का एक शेयरधारक, 20 दिसंबर 2024 अर्थात चुनाव में भाग लेने क्
विनिर्दिष्ट तारीख तक प्रत्येक रु. 10/- के .	इिक्वटी शेयरों का धारक हूँ और एतदद्वारा श्री / श्रीमतीपुत्र/पुत्री/ पत्नी
निवासी को बैंकिंग कंपन	नी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधान के अनुसार बुधवार, दिनांव
22.01.2025 को होनेवाली बैंक के शेयर	रधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूको बैंक के निदेशव
के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूँ।	
J J J	
नाम	
हस्ताक्षर	
about of size	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं.	
(यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी सं.	
ग्राहक आईडी सं.	
(यदि अभौतिक रूप में हो)	
रथान	
दिनांक	

टिप्पणी

- 1) यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ पारित संकल्प की एक प्रमाणित वास्तविक प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए और उस पर जिस बैठक में इसे पारित किया गया है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए ।
- 2) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर रिजस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।
- 3) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है ।

ii.

iii.

न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है; तथा



उम्मीदवार द्वारा घोषणा विनियमनों के विनियम 65 (ई) का संदर्भ लें

श्री/श्र	ोमती
	धी
एतद	द्वारा पुष्टि करता हूँ /करती हूँ कि :
(ক)	मैं विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात दिनांक 6 दिसंबर 2024 को निर्वाचन में भाग लेने के लिए फोलियो सं डीपी आईडी नं
(ख)	मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र/भुगतान एवं निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन एवं व्यापार प्रबंधन जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा उस विषय में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है और मैं, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की घारा 9 की उप-धारा 3(ए) के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, मजदूरों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ तथा उसके साक्ष्य में संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ कि
	(*जो लागू न हो उसे काट दें)
(ग)	मैं, नामांकन संख्या स्वीकार करता/ करती हूँ तथा
(घ)	में, यूको बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ तथा
(ङ)	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, यथासंशोधित 2003, इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी सबंधित अधिसूचनाएं, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हूँ तथा
मैं नि	म्नलिखित के अनुसार विशेष रूप से घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि
i.	मैंने, न तो लाभ का कोई पद धारण किया है और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहयोगी बैंक का कर्मचारी हूं। तथा,

- v. मैं किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था या आरबीआई या बीमा कंपनी या किसी एनओएफ़एचसी में निदेशक के पद पर नहीं हूँ, और
- vi. मैं, पूर्व में इस बैंक के बोर्ड में, किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह साल के लिए जो भी अधिक हो, लगातार या आंतरायिक रूप में निदेशक नहीं रहा हूं/ रही हूँ, तथा

मुझे, किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है, तथा

मुझे, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत दिमाग का नहीं पाया गया है और किसी अपराध जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, के लिए फौजदारी

मुझे, किसी भी समय दिवालिया के रूप में घोषित नहीं किया गया है या मैंने लेनदारों का भुगतान अवरुद्ध या प्रशमन नहीं किया है; तथा



- vii. मैं, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के किसी श्रेणी के निदेशक के पद पर छह वर्ष तक लगातार अथवा सविराम नहीं रहा हूँ / रही हूँ ।
- viii. मैं स्टाक ब्रोकिंग के व्यवसाय से जुड़ा /जुड़ी नहीं हूँ।
- ix. मैं किसी भी हायर परचेज़, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूं।
- x. मैंने, सांसद/या राज्य विधायिका या किसी नगर निगम का सदस्य या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय (यथा अधिसूचित क्षेत्र परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) का पद धारण नहीं किया है।
- xi. मैं, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- xii. मैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में यूको बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।
- xiii. मेरा, न तो यूको बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हं जिसके परिणामस्वरूप यूको बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- xiv. यदि, किसी बैंक या किसी अन्य बैंक के किसी गैर-संचालित वित्तधारक कंपनी (एनओएफ़एचसी) के साथ मेरे घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध रहे हों परंतु निदेशक के रूप में निर्वाचित होने और उसकी अविध बीत जाने के बाद दो वर्षों की अविध तक यूको बैंक के साथ मेरे व्यावसायिक संबंध नहीं रहेंगे; तथा
- xv. मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूं और मैं किसी भी ऋण देने वाली संस्था का डिफॉल्टर नहीं हूं।
- xvi. मैं निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले अनुबंध पत्र (आरबीआई मास्टर दिशानिर्देश दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूं।
- xvii. मैं, वचन देता हूँ कि यहां दी गई सूचनाओं से संबन्धित यदि कोई विशेष बात होती है तो उससे मैं यथा शीघ्र पूरी तरह से बैंक को सूचित करूंगा। बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर मैं डीड आफ कनवीनेंटस निष्पादित करूंगा।
- xviii. मैं, जब तक बैंक के निदेशक के पद पर कायम रहूँगा तब तक सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।
- xix. मैं, अन्य कंपनियों/बैंकों में अपने वर्तमान और पिछले निदेशकत्व का विवरण नीचे दे रहा हूं:

कंपनी/बैंक/अन्य इकाइयों का नाम	निदेशकत्व का विवरण यथा कार्यकाल, निदेशकत्व का प्रकार और अवधि		

यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त शीट जोड़ें



xx. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूं जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी तरह से सही और पूर्ण हैं।

नाम		
हस्ताक्षर		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो सं.		
(यदि अभौतिक न हो)		
डीपी आईडी सं.		
ग्राहक आईडी सं.		
(यदि अभौतिक रूप में हो)		
रथान		
दिनांक		
स्थानः	हस्ताक्षर	
तिथि:		
।ताथः	नाम	
उक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए		

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या राजपत्रित अधिकारी या आरबीआई या यूको बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर।



बैंक का नाम : यूको बैंक संभावित निदेशक (प्रत्याशी) द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र (उपयुक्त अनुलग्नक के साथ)

यहां पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएँ

क्र. सं.	विवरण	я	दान सूचना	
I. व्य	क्तिगत विवरण			
1.	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पु./स्त्री/अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल एवं वैकल्पिक ई-मेल : एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन न. : मोबाइल संख्या :			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) एवं उम्र	/ उम:_	वर्ष	माह
8.	शैक्षणिक योग्यता			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआइएन)			
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			
11.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन)	फाइलिंग की तिथि	कर भुगतान	की राशि (रू.)
	(बी) वह प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक पर कर निर्धारण किया गया है (आयकर		3	, ,
	क्षेत्राधिकार)/ आयकर सर्किल/वार्ड का नाम और पता			
	(सी) पिछले 3 वर्षों का रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान का विवरण			
12.	स्थायी पता			
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे किसी एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त विवरण के रूप में विवरण, मुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य मामले का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।			



14.	वर्तमान पेशा (पदनाम, संस्था का नाम और अनुभव का संक्षिप्त विवरण)						
15.	पिछला व्यवसाय जिसमें कम से कम दस वर्ष शामिल हो, कार्यरत्त संगठन का पूरा पता, कार्यग्रहण की तिथि, कार्यमुक्ति की तिथि (कारण सहित), पदनाम आदि।						
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, कृपया निम्नलिखित बताएं : (ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई)						
	(बी) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथिः						
	(सी) पंजीकृत फर्म का नाम और पताः						
	(डी) फर्म या आपके द्वारा वर्तमान में किए गए लेखापरीक्षा का विवरण						
17.	शाखा सहित बैंक(रों) के नाम एवं खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण), जहां आप एक मुख्य खाताधारक हैं।	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रक	ार	खाता संख्य	T
18.	शेयरधारिता का विवरण, यदि आपके पित/ पत्नी और नाबालिक संतान द्वारा किसी इकाई में भौतिक या अभौतिक रूप में रखा गया है। (डीमैट/ शेयरहोल्डिंग प्रमाणपत्र संलग्न करें)						
19.	बैंक के निदेशक पद से संबन्धित कोई अन्य जानकारी:						
II. 3	गस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध						
20.	रिश्तेदारों की सूची, [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) एवं कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) नियम 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें], यदि कोई हो, जो किसी भी बैंक से जुड़े हो:						
21.	संस्थाओं की सूची जिसमें :						
	(ए) इच्छुक है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]:						
	(बी) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के रूप में एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें] :						
	(सी) न्यासी (एक ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें :						
22.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)1 के अर्थ के अंतर्गत	कंपनी/फर्म का	नाम				
22.	पर्याप्त हित रखने वाली मौजूदा एवं प्रस्तावित संस्थाओं की सूची।	निगमन का देश					
		शेयरों की संख	या				
		प्रत्येक शेयर व	न अंकित मूल्य				
		शेयर धारिता व	0 4,				
		कुल पेड-अप । शेयरधारिता %					
		लाभकारी हित					\dashv
		(मूल्य में और	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =				
			हंपनी अधिनिय 8 की कंपनी है				



23.	विदेशों में शामिल संस्थाओं और भारत में कारोबार करने की जगह का विवरण।	
24.	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में बोर्ड/ सलाहकार आदि का सदस्य है। (उस अवधि का विवरण दें जिसके दौरान ऐसे कार्यालय थे)	
25.	अगर किसी भी संस्था द्वारा भाड़े की खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (उल्लेख किए जाने वाले संस्था की प्रकृति) के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण।	
26.	यदि स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी भी इकाई से जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण।	
27.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और/या (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया गया है।	
28.	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां किसी व्यक्ति या उपर्युक्त (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने किसी बैंक/एनबीएफ़सी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त केडिट सुविधाओं के संबंध में पूर्व में चूक की हो या उन्हें इरादतन चूककर्ता घोषित किया हो।	
	1"पर्याप्त हित" (i) एक कंपनी के संबंध में, एक व्यक्ति या उसवे हितधारक का मतलब है, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, शेयरों या दस प्रतिशत से अधिक कंपनी की चुकता पूंजी है, जो भी कम पति या नाबालिग बच्चे द्वारा आयोजित लाभकारी हित का मतलब जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी का दर	में, भुगतान की गई राशि, जिस पर पांच लाख रुपये हो; (ii) एक फर्म के संबंध में, एक व्यक्ति या उसके ब है, चाहे वह अकेले हो या एक साथ लिया गया हो,
III.	व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
29.	निदेशक पद हेतु संगत व्यावसायिक उपलब्धियां।	
IV. 5	संभावित निदेशक के विरुद्ध की गई कार्यवाही, यदि कोई हा	
30.	(ए) एक पेशेवर संस्था/निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, तो लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया है या किसी भी समय किसी भी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, उसका विवरण।	
	(बी) यदि किसी भी पेशेवर शिकायत या गतिविधियों के संबंध में किसी भी	
31.	लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।	
31.	ालाखत शिकायत या आराप का विषय है, तो उसका विवरण। अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को दोषी ठहराया गया हो या (21) से (26) के लिए सूचीबद्ध संस्थाएँ आर्थिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन हुआ हो।	
32.	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को दोषी ठहराया गया हो या (21) से (26) के लिए सूचीबद्ध संस्थाएँ	
	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को दोषी ठहराया गया हो या (21) से (26) के लिए सूचीबद्ध संस्थाएँ आर्थिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन हुआ हो। आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या सजा या जिसके	
32.	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को दोषी ठहराया गया हो या (21) से (26) के लिए सूचीबद्ध संस्थाएँ आर्थिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन हुआ हो। आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या सजा या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो। यदि एएमएल/सीएफटी के किसी भी दिशानिर्देशों उल्लंघन में लिप्त हैं, तो	
32.	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को दोषी ठहराया गया हो या (21) से (26) के लिए सूचीबद्ध संस्थाएँ आर्थिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन हुआ हो। आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या सजा या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो। यदि एएमएल/सीएफटी के किसी भी दिशानिर्देशों उल्लंघन में लिप्त हैं, तो उसका विवरण। यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पना की गई	



37.	(ए) यदि किसी अपराध को एक दंड न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है जिसमें अधमता या अन्य शामिल हो, उसका विवरण।					
	(बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसका ब्यौरा क्या है?					
38.	पूर्णकालिक निदेशक पद के अतिरिक्त, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारक हो, तो उसका विवरण।					
39.	यदि एक व्यक्ति के रूप में या उपर्युक्त (21) से (26) तक की कोई भी संस्था किसी पूर्ववर्ती नियोक्ता या सरकारी विभाग या एजेंसी से किसी जाँच/सतर्कता/ पूछताछ के मामले के अधीन रही है, तो उसका विवरण।					
40.	यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसका विवरण।					
41.	यदि सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए जैसे किसी भी नियामक संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा पेशेवर आचरण या गतिविधियों के कारण फटकार, निंदा, प्रतिबंधित, निलंबित, वर्जित आदेश दिया गया है, या अन्यथा मंजूरी दी गयी है, तो उसका विवरण।					
	(यद्यपि किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह आदेशों और निष्कर्षों, जिन्हें बाद में पूर्णतः बदल दिया/रद्द कर दिया गया, का उल्लेख करें, किन्तु यदि बदलाव, रद्द करना, सीमांकन अथवा क्षेत्राधिकार इत्यादि जैसे तकनीकी कारणों से किया गया हो तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए जाए जहां अपील/न्यायालय प्रक्रियाएँ लंबित होने पर भी इनका उल्लेख किया जाना चाहिए)।					
V.	V. सामान्य जानकारी					
42.	यदि कोई सनदी लेखाकार, वकील आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में कोई पेशेवर काम करते हैं / वर्तमान में, बैंक के नाम और बैंक के संबद्धता की अविध सहित विवरण प्रदान करें।					
43.	यदि कोई सांसद / विधायक / एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद पर है, तो उसका विवरण प्रदान करें।					
VI.	प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, उपयुक्त और उचित 'का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी हो' तो इसका विवरण प्रदान करें।					

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति किए जाने के बाद ऊपर प्रदान कि गई सूचना से प्रासंगिक जो कुछ भी घटित होगा उन सभी बातों से मैं बैंक को शीघ्र से शीघ्र पूर्णतया अवगत कराऊंगा

मैं 'प्रसंविदा विलेख' भी निष्पादित करने का वचन देता हूँ जिसे बैंक के साथ निष्पादित करने की आवश्यकता है।

स्थान : तारीख :		उम्मीदवार के हस्ताक्षर	
नामांकन और	पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणियों ने आश्वस्त किया है कि उपर्युक्त जानकारी सत्य	और पूर्ण है।	
स्थान :			
तारीख :		एनआरसी के अध्यक्ष के हस्ता	क्षर



भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

- 1. भौतिक शेयरों के धारकों द्वारा पैन, संपर्क विवरण, नामांकन आदि प्रस्तुत करना
- सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी- पीओडी-1/ पी/सीआईआर/ 2023/37, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार,
 भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा बैंक/ बैंक के आरटीए को अपने संबन्धित फोलियो संख्या के लिए वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमुना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- भौतिक शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक/आरटीओ को निम्न उल्लिखित प्रपत्रों में वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नामांकन अविलंब प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	प्रारूप	प्रयोजन	
1	फॉर्म आईएसआर -1	पैन, संपर्क विवरण और केवाईसी विवरण के पंजीकरण/ अद्यतन हेतु ।	
2	फॉर्म आईएसआर -2	बैंकर द्वारा शेयर धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि हेतु ।	
3	फॉर्म आईएसआर -3	नामांकन से बाहर रहने हेतु घोषणा पत्र ।	
4	फॉर्म एसएच -13	नामांकन फार्म ।	
5	फॉर्म एसएच -14	नामांकन रद्द करना या बदलना (यदि कोई हो)	

उपरोक्त सभी फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर निवेशक अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं, जिन्हें निम्निलिखित लिंक से एक्सेस किया जा सकता है - https://www.ucobank.com/English/quarterly-results.aspx शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए फॉर्म निम्न उल्लिखित आरटीए के पते पर प्रेषित करें।

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/ पी/सीआईआर/2023/181, दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से निम्न प्रावधानों को विलोपित कर दिया गया है -

- फोलियों को फ्रीज करना जहां अनिवार्य विवरण जैसे पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं है।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आरटीए/ सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकरण को फोलियो का रेफरल।
- था भौतिक शेयरों का अंतरण :- सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमयन, 2015 के अनुसार 01 अप्रैल, 2019 से भौतिक मोड में रखी गई प्रतिभूतियों का अंतरण बंद कर दिया गया है। तदनुसार, शेयरों का अंतरण केवल तभी किया जा सकता है जब शेयर डीमैट रूप में रखें गए हो।
- 3. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरणः- सेबी ने परिपत्र सं सेबी/एचओ/एमआईआरएसडीडुआरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8, दिनांक 25 जनवरी 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां शेयर प्रमाण पत्र की अनुलिपि/ पारेषण/ प्रतिस्थापन आदि के अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय अब से केवल डीमैट रूप में प्रतिभृतियाँ जारी करेंगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के सभी शेयरधारकों, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपने शेयरों को अभौतिक करा लें।

डीमैट फॉर्म में शेयरों को रखने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र की क्षति या हानि की संभावना समाप्त हो जाती है;
- ii. शेयर प्रमाण पत्र(ओं) को फाड़ने या जालसाजी या विकृत करने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii. अमूर्तीकरण (डिमटेरियलाइजेशन) शेयरों के कागजरहित (पेपरलेस) ट्रेडिंग की सुगमता और सुविधा प्रदान करता है। एक बार डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ डीमैट खाता खोलने के बाद, शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकता है।



4. भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रियाः

क. शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

- शेयरधारक(ओं) को किसी भी सेबी पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क कर उसी नाम और शैली में डीमैट खाता खोलना होगा जिसमें शेयरधारक यूको बैंक में शेयर रखते हैं।
- डीमैट खाता खोलने के उपरांत, शेयरधारकों को मूल शेयर प्रमाण पत्र (डीआरएफ़) सहित विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म को डीपी को समर्पित करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।
- आरटीए डीआरएफ़ की सत्यापन जांच करेगा और यदि व्यवस्थित पाया जाता है, तो शेयरधारक(ओं) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

ख. पूर्व से ही डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

- जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचना आवश्यक है कि मौजूदा डीमैट खाता यूको बैंक में रखे गए भौतिक शेयरों के अनुसार उसी नाम और शैली में है या नहीं।
- यदि हां, तो शेयरधारकों को मूल शेयर प्रमाण पत्र(ओं) के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ़ डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।
- आरटीए डीआरएफ़ की सत्यापन जांच करेगा और यदि व्यवस्थित पाया जाता है, तो शेयरधारक(ओं) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।
- यदि उपलब्ध डीमैट खाता नाम के समान क्रम में नहीं है, तो सलाह हेतु शेयरधारक(ओं) को अपने डीपी से संपर्क करना आवश्यक है।
- यदि उपलब्ध शेयर प्रमाण पत्र के विवरण में कोई बदलाव होता है, तो कृपया नीचे उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड या बैंक से संपर्क करें।

5 शेयर धारकों के लिए संपर्क बिंदु -

मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई यूको बैंक) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं 31 एवं 32 गाचीबोवली, फ़ाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

कंपनी सचिव यूको बैंक प्रधान कार्यालय वित्त विभाग, शेयर अनुभाग 2 इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, तृतीय तल कोलकाता - 700001 पीएच - 033 44557227 ईमेल - hosgr.calcutta@ucobank.co.in



UCO Bank, Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

NOTICE

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of UCO BANK will be held on Wednesday, the 22nd January, 2025 at 11.00 A.M. through Video Conference/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the following business -:

Item no. 1: Election of Shareholder Director

To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with criteria laid down by Government for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015; July 20, 2016 and any amendments made thereunder (hereinafter referred as "GOI Guidelines") by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT ONE Director elected from amongst shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations, RBI Notification and GOI Guidelines be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office from the day next to the date of election and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

The aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

Item no. 2: Appointment of Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution -:

"RESOLVED THAT pursuant to first proviso to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, read with clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Dr. Sarada Prasan Mohanty as Director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/3/2011- BO.I dated 05.08.2024 with immediate effect i.e. 05.08.2024 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

By Order of Board of Directors For UCO Bank

sd/-

(Ashwani Kumar) Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 23.12.2024



1. Explanatory Statement

The Explanatory Statement setting out material facts in respect of Item Nos. 1 & 2 as set out in this Notice, is as under -:

Item no. 1:- Election of One Shareholder Director

Pursuant to section (9) (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as the public shareholding in the Bank is less than 16% of the shareholding of the Bank, shareholders other than the Central Government are entitled to elect one Director amongst themselves. Shareholders other than the Central Government had elected Shri Pramoda Ranjan Mishra, who assumed office from 1st February 2024, has tendered his resignation on 14th November 2024.

With a view to fill in the said vacancy, the Board of Directors have decided to conduct Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government (Shareholder Director) at the EGM to be held on 22nd January 2025.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her 'Fit & Proper' Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors and subsequent election at the EGM. The Shareholder Director so elected shall assume office from the day next to the date of election and shall hold office for a period of three years.

2. LEGAL PROVISIONS

The relevant extracts / portions of the relevant Act/Scheme/Regulations/Notifications/Guidelines have been reproduced hereunder:

Acts/Scheme/ Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
The Banking Regulation	Section 5 (ne)	Substantial Interest
Act, 1949	Section 16 (1)	Prohibition of Common Directors
	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies	Section 3(2E)	Restriction on voting rights
(Acquisition and Transfer of	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
Undertakings) Act, 1970	Section 9(3A)(A) to (C)	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) and Section 9(3AB)	No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.



Acts/Scheme/ Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
	Section 9(3B)	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9 (3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	Obligation as to fidelity and secrecy
	Clause 9(4)	Term of office of elected directors
The Nationalized Banks (Management and Miscel-	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
laneous Provisions)	Clause 11	Vacation of office of Director
Scheme, 1970	Clause 11A	Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
LICO Darde (Chance and	Regulations 10	Exercise of rights of joint holders
UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations,	Regulations 63	Directors to be elected at General Meeting
2003 as amended	Regulations 64	List of Shareholders
	Regulations 65	Nomination of candidates for election
	Regulations 66	Scrutiny of nominations
	Regulations 67	Election disputes
	Regulations 68	Determination of voting rights
	Regulations 69	Voting by duly authorized representative
	Regulations 70	Proxies
RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of Public Sector Banks.



Acts/Scheme/ Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
Letter dated 3rd September, 2013 vide Ref. F.No.1618312013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and 20th July 2016.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1st July 2015, as amended including any further circular in this regard.		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.		Provisions relating to Independent Director and their appointment.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation, the Scheme/ GOI guidelines as well as RBI Notifications No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and GOI Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 will be hosted in the Bank's website. www.ucobank.com. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request by e-mail at hosgr.calcutta@ucobank.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e. 05.00 pm of 7th January, 2025.



3. Voting Right

For Agenda Item No. 1, Bank has fixed **Friday, the 20th December, 2024** as the Specified Date (cut-off date) for the purpose of ascertaining the eligibility of the shareholders to participate (**nominate, contest and vote**) in the election of ONE Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government

Subject to the restrictions under Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder other than Central Government who has been registered as a shareholder on the Specified/Cut-off Date will be entitled to vote in the Election of Shareholder Director of the Bank and shall have one vote for each share held by him/her as on that Date. However, it may be noted that Central Government is not entitled to participate in the election of director, but may attend the EGM as an observer.

For Agenda Item no. 2, Bank has fixed **Wednesday, 15th January 2025 as the Cut-off date** for determining the eligibility of shareholders for e-voting in terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Further as per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote.

4. List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form) will be available with Company Secretary at UCO Bank Finance Department, Head Office, 2 India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata-700001 of the Bank from 24th December 2024 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs,50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order in favour of UCO Bank payable at Kolkata. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders (in electronic form) will be open for inspection from 24th December 2024 with the Company Secretary at UCO Bank Finance Department, Head Office, 2 India Exchange Place,3rd Floor, Kolkata-700001 on all working days (other than Bank Holidays) between 11.00 am to 04.00 pm. If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

5. Qualifications required for being elected as a Director of the Bank

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:



- a. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - Agriculture and rural economy
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small scale industry
 - Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- b. Represents the interest of depositors; or
- c. Represents the interest of farmers, workers and artisans

RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks.

In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank, desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

6. Disqualifications from being elected as a Director of the Bank

- a. In terms of Clause 10 of the Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a Director:
 - If he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - If he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - If he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under subsection (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3



of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

b. If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of RBI Notification No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No. 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 read with the criteria/guidelines laid down for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank, such person shall not be elected as director.

7. Nomination of Candidates for Election:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of RBI Notification No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No. 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 read with letter dated 3rd September, 2013 vide Ref F.No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance and Department of Financial Services and criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and July 20, 2016 (GOI guidelines) and other applicable provisions of various Acts, Rules, Regulations and guidelines, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of UCO Bank as on 20th December, 2024 being the Specified Date (cut-off date) of reckoning for participation in the election, either in physical or demat mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- As on Tuesday, 7th January, 2025, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications/GOI Guidelines.
- The valid nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where is it so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, UCO Bank Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata 700001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- The valid nomination (minimum 100) are to be accompanied by a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank that (i) he /she accepts the nomination and is willing to stand for election, (ii) he/she is not disqualified under Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 Or the UCO Bank (Shares and Meetings) Amendments Regulations, 2003 and Notification No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No. 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India and GOI guidelines as applicable to Non-official Directors.
- The nomination forms shall be accompanied with his /her personal details (bio data) duly signed and affirming
 that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank
 fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the
 declaration.



 The proforma of nomination form and declaration form are annexed to this notice and also made available under on the Bank's website www.ucobank.com

8. Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of one Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form as per the prescribed format;
- Valid Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice.

in a sealed envelope super scribing thereon - "UCO BANK - ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR" either by hand delivery or through Speed Post/Regd. Post/Courier addressed to -

Company Secretary,

UCO Bank

Finance Department, Head Office,

2, India Exchange Place, 3rd Floor,

Kolkata - 700001

so as to reach on any working day on or before 5.00 p.m., on Tuesday, 7th January, 2025.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which; the nominations are liable to be rejected.

Please note that the Bank shall not be responsible for non-receipt of Nomination forms, in case the same are dispatched through Speed Post/Regd. Post/Courier to an address other than the aforementioned address OR hand delivered without receipt of acknowledgement from the Company Secretary.

9. Scrutiny of Nominations and Election of Directors:

- Nominations shall be scrutinized on Wednesday, 8th January 2025, the first working day following the date fixed
 for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected
 after recording the reasons therefor.
- Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of
 the Board in terms of the RBI Notification and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Notification and GOI
 Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper
 status of the Candidates.



- The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his/her candidature.
- After scrutiny, if there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and his / her name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election/voting and the agenda item no. 1 at the Extraordinary General Meeting shall not be considered. The newly elected director will assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected.
- If there are more than one valid nomination, election will be held and candidates polling the majority of the votes
 at the election will be deemed to have been elected and their name will be published in newspapers and the
 website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.

10. Withdrawal of Nominations

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by sending scanned copy of the signed letter to this effect addressing to the Company Secretary, UCO Bank, Head Office, Kolkata at hosgr.calcutta@ucobank.co.in by 2.00 p.m., on or before 15th January 2025.

11. Voting Results

The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the EGM in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes (Remote e-voting and E-voting during the meeting) cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the EGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

12. Disputes

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003.

13. Removal of a Director

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

14. Communication with Share Transfer Agents

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of shares held in DEMAT form and in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:



KFin Technologies Limited,

Unit: UCO BANK,

Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

Toll free - 1-800-309-4001

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. S.V. Raju, DVP / Mr. Balaji Reddy S - Senior Manager of KFin Technologies Ltd, at e-mail v-raju.sv@kfintech.com / balajireddy.s@kfintech.com at toll free no. 1-800-309-4001.

15. Share Section & Investors Grievance Cell

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance:

Shri Vikash Gupta, Company Secretary, Shares Section & Investor Grievance Cell, UCO Bank, Head Office: 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone: 033-44557227

16. Interest of Directors

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

Item no. 2:-Appointment of Dr Sarada Prasan Mohanty as RBI Nominee Director

Dr Sarada Prasan Mohanty was appointed as Director on the Board of UCO Bank by Government of India vide its notification F.No.6/3/2011- BO.I dated 05.08.2024 in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, with immediate effect i.e. 05.08.2024 or until further orders, whichever is earlier.

Brief Profile of Dr Sarada Prasan Mohanty is as under:

Dr. Sarada Prasan Mohanty is an experienced banking professional with 28 years of progressive experience, including 25 years at the Reserve Bank of India (RBI). He currently serves as the Regional Director at RBI, Bhubaneswar, Odisha, and as the Director of the Enterprise Computing & Cyber Security Training Institute at RBI. Dr. Mohanty holds a Ph.D. in International Finance, a PGDM in Public Policy and Management from IIM Bangalore, and a PGP in Data Science & Business Analytics from the University of Texas at Austin. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking & Finance (CAIIB) and has an M.Sc. (Ag) from Odisha University of Agriculture and Technology. Over his career, he has gained extensive expertise in regulation and supervision, information technology, payment systems, currency management, financial inclusion, and human resource management. Dr. Mohanty has worked in various key positions within RBI, including at the Central Office in Mumbai, as well as in New Delhi, Kolkata, and Bhubaneswar.



Dr. Mohanty has held several prestigious committee positions throughout his career, including being a member of the Basel Committee on Banking Supervision for Operational Risk and a member of the International Committee on Credit Information Reporting Systems in Basel, Switzerland. He has also contributed to various internal RBI committees and working groups focused on policy formulation. His international experience includes representing the Reserve Bank of India at numerous global forums, such as the Federal Reserve, the Basel Committee, and the International Committee on Credit Reporting. Dr. Mohanty has participated in key international conferences, including the BRICS Cybersecurity Conference and discussions on improving currency infrastructure, and has represented RBI in countries like the USA, Switzerland, Ukraine, Russia, Australia, New Zealand, and Singapore.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Brief Profile of the director is given above which highlights his expertise in Banking Sector. Further, the skill/ capabilities/expertise as required in the context of banking business was assessed by Government of India and based on which, appointment was made.
- There is no inter-se relationship between Directors.
- Directorship in other listed entities along with listed entities from which the RBI Nominee Director has resigned in the past three years - None

Pursuant to first proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, Bank is required to ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

To comply with above regulations, the Board of Directors of the Bank recommended the appointment of Shri Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director to the shareholders' for their approval.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Dr Sarada Prasan Mohanty or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are interested or concerned in the said resolution.

> By Order of Board of Directors For UCO Bank

sd/-

(Ashwani Kumar) Managing Director & CEO

Place: Kolkata Date 23.12.2024



GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

1. Extraordinary General Meeting through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM)

Pursuant to the General Circular No. 09/2024 dates 19.09.2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as "MCA Circulars") read with SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03.10.2024, the Extraordinary General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue duly following guidelines issued by MCA and SEBI in conducting Extraordinary General Meeting of the Bank.

The deemed venue for the meeting shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001.

2. Facility for Participation in EGM

The facility for participation in the EGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the EGM, will be provided by M/s KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Bank. M/s KFin Technologies Limited will also act as attendant enabler for EGM.

Shareholders may join the EGM through VC/OAVM facility by following the procedure mentioned in the Notice, which shall be kept open for the shareholders on 22nd January, 2025 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the EGM. The Window for joining the EGM through VC/OAVM facility may be closed 30 minutes after the scheduled start time.

The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

3. Attendance

The attendance of the Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. Appointment of Proxy and Authorized Representative

Since this EGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this EGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the EGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection, scanned copy of relevant Board Resolution is required to be sent along with attested signature of the Authorized signatory(ies) who are



authorized to vote, to the scrutinizer by email to snv@snaco.net with a copy marked to evoting@kfintech.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in , not less than four days before the date of the meeting on or before 5:00 PM of Thursday the 16th January 2025 .

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2003.

5. Instructions for shareholders for attending EGM through VC/OAVM

- Member will be provided with a facility to attend EGM through VC/OAVM provided by KFin Technologies Limited. Members may access the same at https://emeetings.kfintech.com and click on the "Video Conference" and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.
- The link for EGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials. The link for EGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.
- Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.
- Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. Voting through electronic means

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Extraordinary General Meeting.

The members, who are holding shares as on cut-off date(s) are entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Limited or to vote at the meeting. Person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the EGM provided the votes are not already casted through remote e-voting.



$7. \ \ INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORIES (NSDL/CDSL) FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMATFORM$

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Pursuant to aforesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility:	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest
I. URL: https://eservices.nsdl.com	I.URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login
II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS'	or URL: www.cdslindia.com
section.	II. Click on New System Myeasi III. Login with user id and password.
III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting"	IV. Option will be made available to reach e-Voting
IV. Click on company name or e-Voting service provider	page without any further authentication.
and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services	2. User not registered for Easi/Easiest
I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com	I. Option to register is available at https://
II. Select "Register Online for IDeAS"	web.cdslindia.com/myeasi/Registration/ EasiRegistration
III. Proceed with completing the required fields.	Lasixegistration
Alternatively,	II. Proceed with completing the required fields.
I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com/ SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp	ii. Proceed with completing the required fields.
II. Proceed with completing the required fields.	
3. By visiting the e-Voting website of NSDL	3. By visiting the e-Voting website of CDSL
I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/	I. URL: www.cdslindia.com
II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.	II. Provide demat Account Number and PAN No. III. System will authenticate user by sending OTP on
III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number	registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.
held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.	IV. After successful authentication, user will be
IV. Post successful authentication, you will be	provided links for the respective ESP where the
redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.	e- Voting is in progress.
V. Click on company name or e-Voting service provider	
name and you will be redirected to e-Voting service	
provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	
01	



8. INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORY PARTICIPANT FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

Individual Member can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, the member will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option the member will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and the member will be redirected to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

9. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM AND SHAREHOLDERS OTHER THAN INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

The details of the process and manner for remote e-voting are given below. The initial pass word is provided in the body of the e-mail comprising of the notice of EGM.

- i. Log-in-to for Remote e-voting portal at https://evoting.kfintech.com
- ii. Shareholders of the Bank holding shares as on the cut-off date may cast their vote electronically.
- iii. Enter the initial login credentials (i.e., user id and password mentioned in the email comprising notice of EGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
- iv. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- v. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi. You need to login again with the new credentials.
- vii. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.



viii.Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.

- ix. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who is/are authorized to vote, to the Scrutinizer through email at snv@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK_EVENT No.'
- x. Those holding shares as on the Cut-off Date can cast their vote in favour of or against the resolution.
- xi. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
- xii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
- xiii. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- xiv. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 18th January, 2025 to 5 p.m. on 21st January, 2025.
- xv. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact M/s KFin Technologies Ltd. on 1800 345 4001 (Toll free)

10. INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR E-VOTING DURING THE EGM:

The e-voting "Thumb Sign" on the left-hand corner of the video screen shall be activated upon instructions of the chairman during the EGM proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.

The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the EGM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the EGM.



NOMINATION FORM

(Refer Regulation 65 (i) (d) of the Regulations)

Sr. No.	-	
---------	---	--

To
The Managing Director & CEO
UCO Bank,
10, B.T.M. Sarani,
Kolkata - 700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

shareholder of UCO Bank h 20th December, 2024 i.e. tl	ated 23.12.2024 , I,
	son/daughter/wife of
	residing at
shareholders of the Bank as pro	for being elected as a Director of UCO Bank representing the byided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on .
Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



Declaration by the Candidate (Refer Regulation 65 (e) of the Regulations)

Ι, .	son/daughter/ wife of
Shi	ri/Smt a resident of
	hereby confirm
tha	t:
a.	I am a shareholder holdingequity shares of the Bank under Folio No/ DPID No/Client ID Noas on 6th December 2024 i.e. the specified date for participating in the elections, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
b.	I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) cooperation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or in the areas relating to Information Technology/Payment and Settlement Systems/Human Resources/Risk Management and Business Management which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors and/ or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials,

- (*Delete whichever is not applicable.)
- c. I accept the nominations numbering....., and
- d I am willing to contest for the election of Director of UCO Bank, and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings), Act 1970, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 as amended, relevant Notifications issued by the Reserve Bank of India, Guidelines issued by the Govt. of India, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Companies Act 2013, in this regard, and

I specifically declare as under:

- i. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and
- ii. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- iii. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
- iv. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
- v. I am not member of the Board of any Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company, or a NOFHC holding any other Bank; and
- vi. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; whether continuously or intermittently, and



- vii. I have not served as Director in the past on the board of any Bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- viii. I am not engaged in the business of stock broking.
- ix. I am not connected with any hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities,
- x. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).
- xi. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India.
- xii. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the UCO Bank in which nomination for election is filed.
- xiii. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the UCO Bank nor am I engaged in activities which might result in a conflict of business interests with UCO Bank.
- xiv. I will sever professional relationship, if any, with a Bank or any Non-operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other Bank forthwith on getting elected before assuming charge as a Director and will not undertake any professional relationship with UCO Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- xv. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- xvi. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Master Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a Director;
- xvii. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- xviii. I undertake to comply with the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)
 Regulations, 2015 as amended till I hold the position of Director of the Bank
- xix. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/ banks:

Name of the company/Bank/Other entities	Directorship details viz. Tenure, nature of directorship & Period

Add additional sheet, if necessary.



xx. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects.

Name		
Signature		
No. of shares		
Regd. Folio No.		
(if not dematerialized)		
DP ID No.		
Client ID No. (if dematerialized)		
Place		
Date		
Place :	Signature	
Date:	Name	
Date .	ivanic	
The above declaration signed be	fore me.	
Signature with Seal of Judge, M	agistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other C	Gazetted Officer or an
	ndia or UCO Bank or any nationalized Bank.	



Name of the Bank: UCO Bank

Declaration and Undertaking' by a Proposed Director (candidate) (with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

Sl. No.	Particulars]	Inform	ation Disclose	d
I. Pe	ersonal Details					
1.	Name in full	F	irst Nam	e	Middle Name	Last Name
2.	Father's name					
3.	Gender (M/F/others)					
4.	Present address					
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:					
6.	Nationality					
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	/_	_/	Age:	years	months
8.	Educational qualifications					
9.	Director Identification Number (DIN)					
10.	Aadhaar Number (Optional)					
11.	 (a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years 		Date of	filing	Amount of	tax paid (Rs.)
12.	Permanent address					
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.					



14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)				
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following:				
	(a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):				
	(b) Date of registration with the ICAI:				
	(c) Name and Address of the registered firm/s:				
	(d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)				
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:				
II. R	elevant Relationships of proposed director				
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:				
21.	List of entities in which:				
	(a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]:				
	(b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]:				
	(c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):				
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial	Name of the o	ompany / firm		
	interest within the meaning of Section 5(ne)1 of the Banking	Country of in	corporation		
	Regulation Act, 1949.	Number of sh	ares		
		Face Value of	each share		
		Total face val	ue of share hold	ling	
		Shareholding Paid up Capit			
		Beneficial into	erest ell as % terms)		
			ntity is a Section er Companies A		



23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).	
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.	
	"substantial interest" (i) in relation to a company, means th or his spouse or minor child, whether singly or taken toget which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the pa (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held child, whether singly or taken together, which represents me by all the partners of the said firm.	ther, in the shares thereof, the amount paid up on aid-up capital of the company, whichever is less; I therein by an individual or his spouse or minor
III.	Records of professional achievements	
29.	Records of professional achievements Professional achievements relevant for the directorship.	
29.	Records of professional achievements	
29.	Records of professional achievements Professional achievements relevant for the directorship.	
29. IV.	Records of professional achievements Professional achievements relevant for the directorship. Proceedings, if any, against the proposed director (a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time,	
29. IV.	Records of professional achievements Professional achievements relevant for the directorship. Proceedings, if any, against the proposed director (a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time, details thereof. (b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual	
29. IV. 30.	Records of professional achievements Professional achievements relevant for the directorship. Proceedings, if any, against the proposed director (a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time, details thereof. (b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws	
29. IV. 30.	Records of professional achievements Professional achievements relevant for the directorship. Proceedings, if any, against the proposed director (a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time, details thereof. (b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in	
29. IV. 30. 31.	Records of professional achievements Professional achievements relevant for the directorship. Proceedings, if any, against the proposed director (a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time, details thereof. (b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
29. IV. 30. 31. 32. 33.	Records of professional achievements Professional achievements relevant for the directorship. Proceedings, if any, against the proposed director (a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time, details thereof. (b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction. If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	



37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof.	
	(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V.	General Information	
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI.	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.	
	Undantaking	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete.I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.

Place:	
Date :	Signature of Candidate
Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC	C) of having satisfied itself that the above information
is true and complete.	

Place:

Date: Signature of the Chair of the NRC



IMPORTANT NOTICE TO HOLDERS OF PHYSICAL SHARES

- 1. Furnishing of PAN, Contact Details, Nomination etc. by holders of physical shares
- As per SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Spicemen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank/RTA of the Bank.
- All the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank/RTA.

S No.	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, Contact details & KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Banker
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All the above forms are available on the website of the Bank under investor section which can be accessed from the following link - https://www.ucobank.com/English/quarterly-results.aspx . Shareholders are requested to submit duly filled in forms to the address of RTA mentioned below.

- 2. Transfer of Physical shares In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
- 3. Dematerialization of Physical shares SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_ RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

- i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
- ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
- iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

4. Process for dematerialization of shares In Physical Form:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

- The shareholder(s) is/are required to approach any SEBI Registered Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in UCO Bank.
- After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.



• The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

- The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the physical shares held in UCO Bank.
- If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.
- The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).
- If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.
- In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned below.

5. Contact Point for Shareholders -

M/s. KFin Technologies Limited (Unit UCO Bank)
Selenium Tower B, Plot No. 31& 32
Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad - 500032
e-mail: einward.ris@kfintech.com

Company Secretary
UCO Bank Head Office
Finance Department, Shares Section
2 India Exchange Place,3rd Floor
Kolkata - 700001
Ph - 033 44557227
Email - hosgr.calcutta@ucobank.co.in







सुपुर्दगी नहीं होने पर कृपया इस पते पर लौटा दें : मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

(इकाई: यूको बैंक) सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा हैदराबाद - 500032

फोन: 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 309 4001

फ़ैक्स : 040 23420814

ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

If undelivered, please return to: M/s. KFin Technologies Limited

(Unit: UCO Bank) Selenium Tower B, Plot No. 31&32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 309 4001

Fax: 040 23420814

e-mail: einward.ris@kfintech.com

Printed by: Swapna, e-mail: office@swapnaprinting.com